



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट -थाना कम्पिल

दिनांक :- 21.08.2025

थाना कम्पिल पुलिस द्वारा अभियुक्त को 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरिश चंदर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री राजेश द्वेदी वर्मा के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कम्पिल पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र कम्पिल से अभियुक्त महेश चन्द्र पुत्र अमीर सिंह निवासी नगला खाडे थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ को 01 देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 138/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. महेश चन्द्र पुत्र अमीर सिंह निवासी नगला खाडे थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार शुदा अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि तमंचा मैं अपनी सुरक्षा के लिए रखता हूँ साहब गलती हो गयी माफ कर दीजिए।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 देशी तमंचा 315 बोर
2. 01 जिंदा कारतूस 315 बोर
3. 01 की-पैड मोबाइल लावा कम्पनी

अभियुक्त महेश चन्द्र उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 138/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़

गिरफ्तार करने वाली थाना कम्पिल पुलिस टीम-

1. उ0नि0 प्रमोद कुमार
2. हे0का0 इशरार अहमद
3. का0 संजय कुमार
4. का0 संदीप कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।

थाना कमालगंज

दि०-21.08.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह पुत्र मुंशीलाल निवासी कुन्दन नगला थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ मु०अ०स 416/2010 वाद संख्या 464/2010 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 21.08.2025 को मा० न्यायालय स्पेशल पाक्सो प्रथम कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 03 वर्ष का कारावास व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री तेज सिंह राजपूत



को०मो०म० का० चाँदनी



पैरोकार हे०का० मनोज कुमार

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना कमालगंज

आजीवन कारावास

दि0-21.08.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र मुंशीलाल 2. रामरतन पुत्र मुंशीलाल 3. मुंशीलाल पुत्र राम चन्द्र 4. पवन कुमार पुत्र रामचन्द्र 5. माखन लाल पुत्र रामपाल 6. रामपाल पुत्र रामचन्द्र निवासीगण कुन्दन नगला थाना कमालगंज 7. नवरतन पुत्र श्री लाल बाबू निवासी ग्राम बिरिया नगला थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ मु०अ०स 415/2010 वाद संख्या 463/2010 धारा 148, 302, 307, 504, 506, /149 भादवि० व 7 सी एल एक्ट थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहम्मरि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 21.08.2025 को मा० न्यायालय स्पेशल पाक्सो प्रथम कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को आजीवन कारावास व 31-31 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री तेज सिंह राजपूत



को०मो०म० का० चाँदनी



पैरोकार हे०का० मनोज कुमार

थाना कमालगंज

दि0-21.08.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त नवरतन पुत्र श्री लाल बाबू निवासी ग्राम बिरिया नगला थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ मु0अ0स 442/2010 वाद संख्या 465/2010 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 21.08.2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल पाक्सो प्रथम कोर्ट फरूखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 03 वर्ष का कारावास व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री तेज सिंह राजपूत



को0मो0म0 का0 चाँदनी



पैरोकार हे0का0 मनोज कुमार